



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1031]
No. 1031]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2005/आश्विन 5, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2005/ASVINA 5, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2005

का.आ. 1398(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
22	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 किमी. से 107.00 किमी. तक (चेन्नई से रानीपेट) और रा. रा. 4 के 13.8 किमी. से प्रारंभ होकर और रा. रा. 5 के 12.6 किमी. पर मिलने वाले बाईपास (चेन्नई बाईपास फेज-2) को छोड़कर], सं. 45क, सं. 47 (केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी सेक्शन को छोड़कर), [0.000 किमी. से 182.040 किमी. तक (सेलम से तमिलनाडु/केरल सीमा) को छोड़कर], सं. 49, सं. 66 (तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा-टिंडीवनम-थिरुवन्नमलाई-कृष्णागिरि सेक्शन को छोड़कर), सं. 205 (तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश सीमा-थिरुथनाई-चेन्नई सेक्शन को छोड़कर), सं. 207, सं. 208, सं. 209, सं. 219 और सं. 220, जो तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित भाग है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 (डिंडीगुल-टेनी सेक्शन) सं. 67 (नागपटिनाम-तांजावूर-0 त्रिची-करूर-कोयम्बदूर सेक्शन और कोयम्बदूर-मेट्टूरपलायम-तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा सेक्शन को छोड़कर), सं. 68 (सेलम-उलन्दूरपेट सेक्शन को छोड़कर), सं. 45ख (मदुरई-अरुपकोट्टई-टूटीकोरिन सेक्शन को छोड़कर) और सं. 210 ।	तमिलनाडु राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच-14012/17/2005-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1118, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा अधिक्रान्त किया गया था।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2005

S.O. 1398(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways Number S.O. 1096 (E) dated the 4th August, 2005 namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
22	So much of National Highway No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 107.200 (from Chennai to Ranipet) and the bypass starting from Km. 13.8 of NH 4 and joining at Km. 12.6 of NH 5 (Chennai Bypass Phase-II)], No. 45A, No. 47 (excluding Kerala/Tamil Nadu Border-Kanyakumari Section), [excluding from Km. 0.000 to Km. 182.040 (from Salem to Tamil Nadu/Kerala Border)], No. 49, No. 66 (excluding Tamil Nadu/Pondicherry Border-Tindivanam-Thiruvannamalai-Krishnagiri Sections), No. 205 (excluding Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border-Thiruthanai-Chennai Sections), No. 207, No. 208, No. 209, No. 219 and No. 220 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highway No. 45 (Dindigul-Teni Section), 67 (excluding Nagapatnam-Thanjavur-Trichy-Karur-Coimbatore Sections and Coimbatore Mettupalayam-Tamil Nadu/Karnataka Border Sections), No. 68 (excluding Salem-Ulundurpet Sections), No. 45B (excluding Madurai-Arurpukotai-Tuticorin Section) and No. 210.	State Government of Tamil Nadu

[F. No. NH-14012/17/2005-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.R.O 1118 dated 4th April, 1957 which was superseded *vide* No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2005

का.आ. 1399(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्गों की उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी सेक्शन के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	भूखंड किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
45	डिंडीगुल-त्रिची	421.650 किमी. से 324.000 किमी. तक
45ख	मदुरई-अरुपकोटई-ट्यूटीकोरन	138.000 किमी. से 264.000 किमी. तक
47	केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी	599.000 किमी. से 655.000 किमी. तक
66	तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा टिंडीवनम-थिरुवन्नमलाई-कृष्णागिरि	3.520 किमी. से 214.200 किमी. तक

(1)	(2)	(3)
67	नामपटीनम-तांजावूर-त्रिची-कुरुर-कोयमबटूर- मेट्टूपलायम-तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा	0.000 किमी. से 504.400 किमी. तक
68	सेलम-उलंडरपेट	0.000 किमी. से 134.200 किमी. तक
205	तमिलनाडु/आन्ध्रप्रदेश सीमा-थिरुथनी-चेन्नई	0.000 किमी. से 81.500 किमी. तक

[फा. सं. एनएच-14012/17/2005-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2005

S. O. 1399(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, specified in column (3) of the Table below (hereinafter referred to as the said Table), of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section	Stretches in Kilometer
(1)	(2)	(3)
45	Dindigul-Trichy	Km. 421.650 to Km. 324.000
45B	Madurai-Arupukotai-Tuticorin	Km. 138.000 to 264.000
47	Kerala/Tamil Nadu Border-Kanyakumari	Km. 599.000 to Km. 655.000
66	Tamil Nadu/Pondicheary Border Tindivanam-Thiruvannamalai-Krishnagiri	Km. 3.520 to Km. 214.200
67	Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur-Coimbatore- Mettupalayam-Tamil Nadu/Karnataka Border	Km. 0.000 to Km. 504.400
68	Salem-Ulundurpet	Km. 0.000 to 134.200
205	Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border-Thiruthani-Chennai	Km. 0.000 to Km. 81.500

[F. No. NH/14012/17/2005/P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.